वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 02.05.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, ज्ञानशिखा टाइम्स,न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 02.05.2025

वीडीए ने तीन अवैध निर्माण किए सील

वाराणसी। वीडीए की ओर से बृहस्पतिवार को तीन अवैध निर्माण सील किए गए। सिकरौल वार्ड के हुकुलगंज में कंचन रामेश्वर तिवारी, केशव तिवारी, रंगदीप हुकुलगंज की ओर से अवैध निर्माण कराया जा रहा था। नोटिस जारी कर सील किया गया। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 02.05.2025

दीनदयाल स्मृति स्थल का कराएं सुंदरीकरण

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बृहस्पतिवार को पड़ाव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल का निरीक्षण किया। टिकट काउंटर पर उपलब्ध टिकट की संख्या और रोज आने वाले पर्यटकों की संख्या की जानकारी ली। उन्होंने स्मृति स्थल के सुंदरीकरण और पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर जोर दिया। कहा कि नर्सरी के क्षेत्रफल को और अधिक बढ़ाया जाए। हर क्यारी में पौधों के नाम की स्पष्ट पहचान पट्टिका लगाई जाए। परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 02.05.2025

जोनल अधिकारी, अवर अभियंता समेत तीन को नोटिस

वाराणसी। अपर सचिव परमानंद यादव ने बृहस्पतिवार को वीडीए सभागार में आईजीआरएस से जुड़े मामलों की समीक्षा की। जोनल अधिकारी, अवर अभियंता समेत तीन को नोटिस दिया। नियत समय में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण रिपोर्ट न देने वाले कार्मिकों को कार्रवाई की चेतावनी दी। रिपोर्ट सही नहीं मिलने पर प्रभारी अधिकारी संपत्ति को निस्तारण और दोषी कर्मचारी को नोटिस जारी कराया। 8 प्रकरणों में निस्तारण रिपोर्ट न देने वाले जोन-01 (शिवपुर एवं सिकरौल) के जोनल अधिकारी को 3 दिन में स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया। जोन-03 (चेतगंज) के अवर अभियंता ने एक प्रकरण में गलत रिपोर्ट दी थी। जिस पर 3 दिन में स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी किया गया। जिम्मेदारी दी कि सात दिन पहले निस्तारण रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 02.05.2025

वीडीए में जमा हुआ 1.10 लाख जुर्माना

वाराणसी। वीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए इसे न्यायालय तक पहुंचाया। ऐसे में 1,10,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि वीडीए बनाम आमिर जहूर वगैरह के मामले में अवैध निर्माण पर अभियुक्तों पर 55,000-55,000/- का जुर्माना आरोपित किया गया। सीजेएम के यहां दायर परिवाद में जुर्माने के अलावा आदेश दिया गया है कि यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया जाता तो अभियुक्तों को 30-30 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 02.05.2025

अवैध निर्माण पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई और न्यायालय में अपील करने पर अवैध निर्माण करने पर कोर्ट ने जुर्माना किया है। वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा ने बताया कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई के साथ प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। कोर्ट में वीडीए बनाम आमिर जहूर वगैरह प्रकरण में कोर्ट ने 55-55 हजार रुपये जुर्माना किया है। 30 दिन के अंदर जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर सजा का प्रावधान है। उधर, जोन एक के सिकरौल वार्ड में हुकुलगंज में कंचन रामेश्वर तिवारी, केशव तिवारी, रंगदीप तिवारी ने वीडीए से आनलाइन मानचित्र स्वीकृत कराया था। सेटबैक कवर करने पर उसे सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

हिन्दुस्तान–दि0 02.05.2025

अव्यवस्थित फाइल देख उपाध्यक्ष ने जताई नाराजगी

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने जोन-05 कार्यालय रामनगर-मुगलसराय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पत्रावलियों को निर्धारित क्रम में न रखने एवं फाइलों में सुनवाई की तिथि अंकित न होने पर असंतोष जताया। उन्होंने कार्यालयीय कार्यों में अधिक अनुशासन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 02.05.2025

सहायक अभियंता हुए सेवानिवृत्त, दी गयी विदाई

वाराणसी। वीडीए के कर्मचारी सहायक अभियंता देवेश राम गुप्ता के सेवानिवृत्त पर विदाई समारोह का आयोजना किया गया। अधिक्षण अभियंता डॉ. अजय पवार की अध्यक्षता में विदाई समारोह का आयोजन सभागार में हुआ। इस मौके पर वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिक्षण अभियंता डॉ. अजय पवार ने सेवानिवृत्त कर्मचारी के कार्यों की सराहना की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा उत्कृष्ट कार्य और समर्पित सेवा के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिक्षण अभियंता अजय

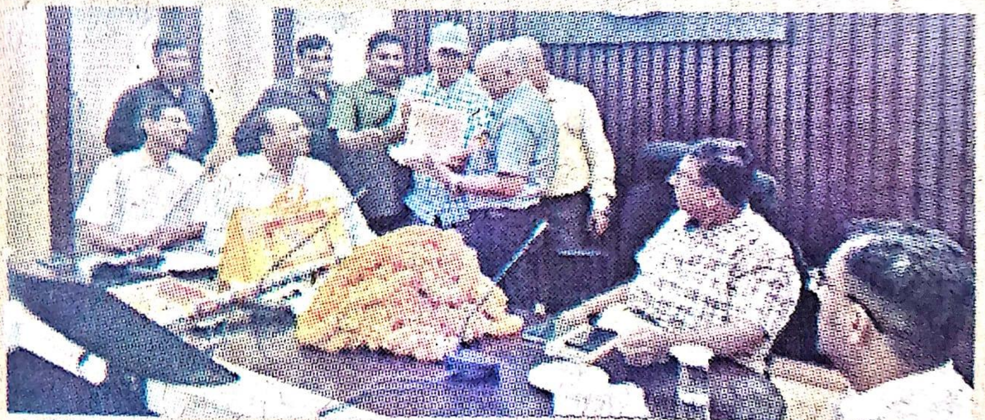

पवार, अधिशासी अभियंता अरविंद्र शर्मा एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुनील सिन्हा, मंत्री अभिषेक सिंह व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अनरूद्ध पाण्डेय इत्यादि भी शामिल हुए। सभी ने सेवानिवृत्त कर्मचारी देवेश राम गुप्ता को उत्कृष्ट कार्य और समर्पित सेवा के लिए बधाई दी।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 02.05.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा जोन-05 कार्यालय रामनगर-मुगलसराय का औचक निरीक्षण

वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा जोन–05 कार्यालय, रामनगर–मुगलसराय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई तथा कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया गया।निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने पत्रावलियों को निर्धारित क्रम में न रखने एवं फाइलों में सुनवाई की तिथि अंकित न होने पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कार्यालयीय कार्यों में अधिक अनुशासन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।इसके अतिरिक्त उपस्थिति रजिस्टर की जांच की गई तथा उपस्थित कर्मचारियों से उनका परिचय एवं कार्य से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई।उपाध्यक्ष ने कार्यालय परिसर की स्थिति पर भी ध्यान देते हुए साफ–सफाई बनाए रखने और कार्यालय भवन पर स्पष्ट रूप से %जोन कार्यालय% का नाम प्रदर्शित करने तथा यह भी निर्देशित किया कि कार्यालय भवन का रेनोवेशन (पुनर्निर्माण/संवर्द्धन) कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाए, जिससे कार्य करने का वातावरण बेहतर हो सके। साथ ही, आगंतुकों की सुविधा हेतु एक प्रतीक्षालय (वेटिंग एरिया) बनाए जाने के भी निर्देश दिए गए।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 02.05.2025

न्यायालय के आदेश के बाद वसूला गया जुर्माना

वाराणसी। वीडीए से संबंधित मामले में न्यायालय का महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया है, जिसमें अभियुक्तों पर 55,000-55,000/- रूपये का जुर्माना अवैध निर्माण किये जाने पर आरोपित किया गया है। वीडीए की प्रभावी पैरवी के बाद, सीजेएम न्यायालय, वाराणसी में योजित परिवाद संख्या- 1085/2025 (वीडीए बनाम आमिर जहूर वगैरह) पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने अभियुक्तों पर क्रमशः 55,000-55,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया है, कि यदि अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया जाता, तो अभियुक्तों को क्रमशः 30-30 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्तों द्वारा कुल 1,10,000 रुपये का जुर्माना जमा कर दिया गया है। विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए इसे न्यायालय तक पहुंचाया, जिसके परिणाम स्वरूप यह जुर्माना वसूला गया।

न्यायाधीश–दि0 02.05.2025

प्राधिकरण सभागार में अपर सचिव/प्रभारी अधिकारी आई0जी0आर0एस0 द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित

वाराणसी ।आई0जी0आर0एस0 संदर्भ के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु अनुभागीय अधिकारी एवं जोनल अधिकारी तथा संबंधित कर्मचारीगण के साथ प्राधिकरण सभागार में अपर सचिव/प्रभारी अधिकारी आई0जी0आर0एस0 परमानन्द यादव द्वारा समीक्षा बैठक की गई ।सम्बन्धित अधिकारी/जोनल अधिकारी एवं कर्मचारीगणको आई0 जी0आर0एस0 संदर्भी का नियत दिनांक से 07 दिवस पूर्व निस्तारण रिपोर्ट नियत प्रारूप पर उपलब्ध करने हेतु निर्देश दिया गया।
निर्देश दिया गया कि जिन प्रकरणों में स्थलीय जांच की जाती है उनमें स्थलीय जांच के समय का फोटोग्राफ निस्तारण रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाय। स्थलीय जांच के दौरान शिकायतकर्ता से भी वार्ता करके प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही की जाए एवं सम्पूर्ण विवरण रिपोर्ट में दर्ज किया जाय।नियत समयावधि के अन्दर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण रिपोर्ट न प्रस्तुत करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही की चेतावनी दी गयी। समीक्षा बैठक के दौरान सम्पत्ति अनुभाग की एक निस्तारण रिपार्ट सही नहीं पायी गयी, जिसके संदर्भ में प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति को पुनः समुचित निस्तारण कराने एवं दोषी सम्बन्धित कार्मिक का दायित्व निर्धारण हेतु नोटिस जारी किया गया। नियत समयावधि के अन्दर सर्वाधिक 08 प्रकरणों में निस्तारण रिपोर्ट न उपलब्ध कराने वाले जोन-01 (शिवपुर एवं सिकरौल) के जोनल अधिकारी को 03 दिन में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी की गयी। जोन-03 (चेतगंज) के अवर अभियन्ता द्वारा एक प्रकरण में गतल एवं भ्रामक रिपोर्ट दी गयी थी, जिसके सन्दर्भ में उन्हे 03 दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

वाविप्रा जोन-4 ने की अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी । उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड- नगवां के अन्तर्गत गयी थी, उक्त अवैध प्लाटिंग को आज 30.04.2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से प्लाटिंग ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी सिंह संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व

अज्ञात द्वारा मौजा- कुरुहुआ (हैप्पी मॉडल स्कूल के पास) थाना रोहनिया जिला वाराणसी में लगभग 02 बीघा में की गई अवैध प्लाटिंग बिना ले - आउट पास कराये अवैध प्लाटिंग विकशित की जा रही थी,उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम- 1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।